न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट,फलोदी

पीवसीब अधिकारी- मांगीलाल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या:- 29/2024

1. बनवारीलाल पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट

प्रार्थी.....

बनाम

1. लक्ष्मणकुमार राव पुत्र सत्यनारायण जाति विश्नोई निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
2. कमलकिशोर विश्नोइ पुत्र सत्यनारायण जाति विश्नोई निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
3. श्याना पत्नी लक्ष्मणकुमार जाति विश्नोई निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
4. सुमन विश्नोइ पत्नी कमलकिशोर जाति विश्नोई निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
5. ओमपुरी पुत्र सुरजपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
6. सम्पतपुरी पुत्र सुरजपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
7. सम्पतपुरी गोद पुत्र गोमदपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
8. रमेदवी पत्नी गोमदपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
9. शारा पत्नी सुरजपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
10. प्रकाशपुरी पुत्र मंगलपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
11. राजेन्द्रपुरी पुत्र मुगलपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
12. बगतुदेवी पत्नी जेठपुरी पिता मुल्तानपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
13. प्रमोदपुरी पुत्र लालपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
14. विमलादेवी पत्नी नेनूराम जाति विश्नोई निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
15. अणची पुत्री मुल्तानपुरी पत्नी पत्नी मोहनपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
16. कवरी पुत्री मुल्तानपुरी पत्नी सॉगभारती जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
17. बरजू पुत्री मुल्तानपुरी पत्नी रामपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
18. राधा पुत्री मुल्तानपुरी पत्नी मोहनगिरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट
19. तहसीलदार लोहावट

अप्रार्थीगण.....

उपस्थित :-

1. श्री अशोक कड्वासरा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुमेरसिंह चौहान अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 तथा 8 से 13 शेष अनुपस्थित

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक :- 22.05.2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 व 12 एवं 14 की संयुक्त सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि तहसील लोहावट के राजस्व ग्राम लोहावट विश्नावास के खसरा नम्बर 212 रकबा 1.6835 हैक्टेयर, तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 5 से 18 की सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 3.9659 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 162 रकबा 3.9659 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी को 2500/213443 हिस्सा भूमि बन्ट आती है तथा इस खसरे की शेष भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 5 से 18 को जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार बन्ट आती है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 212 रकबा 1.6835 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी को 1/36 हिस्सा की भूमि बन्ट आती है शेष भूमि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 व 12 एवं 14 को जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बन्ट आती है। सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि पर बिना किसी सक्षम आदेश के तथा बिना भू-परिवर्तन करवाये कृषि से अन्यत्र प्रयोजन में काम नहीं लिया जा सकता है। कृषि भूमि के सुधार हेतु खातेदार आसामीयो के प्रावधान धारा 66 व 67 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अन्तर्गत धारा 05 उपधारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन रहते हुए किया जा सकता है इसके अन्यथा कृषि भूमि का सुधार धारा 71 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से वर्जित है। ओर यदि इन नियमो के विरूद्ध यदि किसी आसामी/खातेदार के द्वारा कृषि भूमि को अकृषि के रूप में कार्य किया जाता है या उपयोग किया जाता है तो इस सम्बन्ध में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आकृर्षित होते है। जिसमें ऐसी अवैध रिति से कार्य करने वाले खातेदारो को बेदखल किया जा सकता है। अर्थात भूमि में रहवासीय मकान, पशुवाड़ा तथा निर्माण इत्यादी भूमि के कुल क्षेत्रफल के 1/50 से अधिक नही होगा। सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि का बिना किसी सक्षन आदेश के तथा बिना भू-परिवर्तन करवाये कृषि से अन्यत्र प्रयोजन हेतु काम में नहीं लिया जा सकता है। यदि किसी खातेदार अथवा सहखातेदार के द्वारा अपने निजी हित के लिए कृषि भूमि को किसी अन्यत्र उपयोग अकृषि के लिए काम में लिया जाता है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अधीन बेदखल किये जाने के प्रावधान है। यहा पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि किसी सहखातेदार द्वारा अपने निजी लाभ के लिए सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि को अविधिक तौर से गैर कृषि हेतु काम में लिया जा रहा है तो उसका खामीयाजा सभी सहखातेदारो को भुगतना पड़ेगा। अर्थात सभी खातेदार प्रभावित होगें ओर सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में सहखातेदार के नाम भूमि को भी धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की के प्रावधानुसार सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया जायेंगा। इससे सयुक्त खातेदार को कानूनी जटीलताओ का सामना करना पड़ेगा तथा अकारण ही बिना किसी दोष के न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ेगे। वादग्रस्त खसरान की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सामलाती खातेदारी की भूमि है सामलाती खातेदारी भूमि में प्रत्येक सहहिस्सेदार का प्रत्येक इंच पर हक है। वादग्रस्त जायका लोहावट कस्बा के निकट स्थित है तथा वर्तमान में उक्त भूमि बाजार मूल्य अधिक होने से अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि को अपने निजी हित के लिए कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन के लिए काम में लेते हुए कृषि भूमि में कॉलोनी बसाने के लिए बिना किसी अनुमति के सामलाती खातेदारी की भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा पर बड़ी बड़ी सड़के निर्माण करने के लिए मुरड़ डाल दी है ओर आवासीय भूखण्ड स्थापित करने के लिए लेआउट तैयार कर, प्लॉटिंग कर, दी ओर प्रार्थी के हक की किमती जमीन को हड़पने के लिए ओर प्रार्थी को बेदखल करने के लिए आमादा है। है कि अप्रार्थीगण ने सामलाती खातेदारी की भूमि में बिना किसी अनुमति के आवासीय कॉलोनी स्थापित करने के

लिए वादग्रस्त भूमि में मुरड़ डाल कर कच्ची सड़को का जाल बिछा दिया है और प्रार्थी
के छोटे छोटे भूखण्डो के रूप में विभाजन कर दिया है जिससे भूमि पर किसी प्रकार
की काश्त किया जाना असम्भव बना दिया है। और अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को [illegible]
धमकी देकर कहा की तुम्हारी भूमि का सड़को से [illegible] नहीं [illegible] है [illegible]
में आपका कोई हक हिस्सा नहीं है। तथा [illegible] भूखण्डो के रूप में [illegible]
इस भूमि के जरिये बाजार में [illegible] की [illegible] कर दी और [illegible] अधिकार नहीं
कर देंगे। बिना किसी सक्षम आदेश अप्रार्थीगण को [illegible] सड़क का निर्माण करने का
है कि वादग्रस्त जायदाद में केवल अवैध कच्ची या पक्की सड़क का [illegible] भूमि का विभाजन के
ओर आवासीय कॉलोनी स्थापित करे और न ही अप्रार्थीगण कृषि भूमि का [illegible]
विरुद्ध अकृषि उपयोग बिना सक्षमप्राधिकारी की अनुमति के करे। और नहीं अप्रार्थीगण
को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त है कि वे प्रार्थी को उसकी खातेदारी अधिकारों की भूमि
से बेदखल कर सके। अप्रार्थीगण लोहावट गांव के प्रभावशाली व्यक्ति है जो कि गांव
लोहावट के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के परिवार से तालुकात रखते है। यदि
अप्रार्थीगण अपने नापाक मन्सूबो में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति
का सामना करना पड़ेगा। और भारी कानूनी जटिलताओ का सामना करना पड़ेगा।
वादग्रस्त सामलाती जायदाद में अप्रार्थीगण के द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के कृषि
भूमि में आवासीय कॉलोनी भूखण्ड स्थापित करने के लिए जो ग्रेवल डालकर कच्ची
ओर पक्की सड़को का निर्माण कर जाल बिछाया गया है वह सभी प्रार्थी के अधिकारो
व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरुद्ध होने से अप्रार्थीगण द्वारा आवासीय
कॉलोनी स्थापित करने के लिए बनायी गयी कच्ची ओर पक्की सड़को को खुर्द बुर्द
करवा कर सड़क व सड़क की मुरड़ को प्रार्थी सामलाती कृषि भूमि से हटाने तथा
भूमि को पहले की तरह कृषि योग्य करवाने का अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश
है।

प्रार्थी भारत सरकार में सरकारी नौकरी करता है छुट्टी पर कभी कभार घर पर
आता है पीछे जमीन की देखभाल प्रार्थी के पिता व परिवार के द्वारा किया जाता है
प्रार्थी ने दिनांक 23.01.2024 को अप्रार्थीगण को मना किया की वादग्रस्त कृषि भूमि का
भू-परिवर्तन नियमो विरुद्ध नहीं करे। ऐसा करते है तो प्रार्थी को भी भारी परेशानिया
का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि में कॉलोनी बसाने एवं
भूमि को छोटे छोटे टुकडे में बान्टकर भूखण्डो का लेआउण्ड प्लान के तहत ग्रेवल सड़क
बना दी। जिसमें प्रार्थी के हक हिस्से की जमीन को में भी अप्रार्थीगण ने बिना किसी
अधिकार के खुर्द बुर्द कर दिया। अप्रार्थीगण के द्वारा किया गया कृत्य धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विरुद्ध होने से धारा 177 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही का प्रभाव प्रार्थी पर पड़ेगा।
याने अप्रार्थीगण के साथ साथ प्रार्थी को अकारण ही कानूनी पैचीदगीयो का सामना
करना पड़ेगा। इसलिए कानूनन अप्रार्थीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
जाना आवश्यक है। ओर अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में किये नियम विरुद्ध
सड़क निर्माण को ध्वस्त करवा कर ग्रेवल को प्रार्थी अपने अन्य अधिकारो के तहत
हटाने का अधिकारी है।

वादग्रस्त खसरा नम्बर 212 रकबा 1.6835 हैक्टेयर में प्रार्थी के पिता नाम हीराराम
के स्थान पर मुल्तानपुरी अशुद्ध दर्ज होया हुआ है जबकी प्रार्थी के पिता नाम
हीराराम है। प्रार्थी अपने नाम की अशुद्ध त्रुटी को दुरूस्त करवाकर राजस्व रेकॉर्ड
दुरूस्त करवाने अधिकारी है।

वादकारण दिनांक 23.01.2024 को बमुकाम ग्राम लोहावट विश्नावास में तब उत्पन्न
होता है जब अप्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का अपने निजी लाभ के लिए
नियम विरुद्ध अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिये जाने एवं आवासीय कॉलोनी स्थापित
किये जाने के लिए कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़े के भूखण्ड बनाकर आवासीय
कॉलोनी व वाणिज्यक स्थापित करने के लिए कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से सड़क

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

निर्माण हेतु ग्रेवल बिछा दी गयी। जिसमें प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर भी अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती से मुरड़ डलकर रोड़ बिछाने लग गये तो प्रार्थी के द्वारा मना किये जाने पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर पैदा होता है जो निरन्तर जारी है। प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है अपनी सयुक्त खातेदारी भूमि में नियम विरूद्ध कृत्य को रूकवाये जाने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है तथा वादग्रस्त भूमि को बिना सहखातेदारो की अनुमति तथा सक्षम आदेश के बिना कृषि से अन्यत्र उपयोग में नही लिया जा सकता है। यदि नियम विरूद्ध अप्रार्थीगण कृषि से अकृषि के रूप में भूमि उपयोग करते है तो धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही का प्रभाव वादी पर पड़ेगा। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित है। तथा अप्रार्थीगण बलवान ओर रूपयो पैसो के धनी व्यक्ति है जो अपनी जोर जबरदस्ती से वादग्रस्त सयुक्त भूमि में प्रार्थी को हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है ओर भूमि को छोटे छोट टुकड़े में विभक्त कर भूखण्ड बनाकर बेचान करने पर आमदा है यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक मंसुबो में कामयाब हो जाते है या धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार अप्रार्थीगण के द्वारा किये नियम विरूद्ध कृत्य के लिए प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है ओर बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपायी रूपयो में नही की जा सकती कें

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसील लोहावट के राजस्व ग्राम लोहावट विश्नावास के खसरा नम्बर 212 रकबा 1.6835 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 3.9659 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य नही करे ओर न ही कृषि भूमि को अकृषि के लिए काम में लेवे। तथा जब तक वादग्रस्त भूमि में बनायी ग्रेवल सड़को के जाल को ध्वस्त कर पुनः कृषि योग्य नही बना दिया जाता है तब तक वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण नही करे। और न ही नियम विरूद्ध वादग्रस्त भूमि में कोई निर्माण कार्य करे। सक्षिप्त में वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 तथा 8 से 13 की और से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह चौहान ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। शेष अप्रार्थीगण बाद तामिल अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाती है।

जवाब प्रार्थनापत्र अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 3.9659 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 से 18 की सामलाती नहीं होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व अप्रार्थीगण संख्या 8 के पति से 14 की संयुक्त खातेदारी अधिकारो की है इसी प्रकार खसरा नम्बर 212 रकबा 1.6835 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 व 12 तथा 14 की संयुक्त खातेदारी अधिकारो की नही होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6, 8, 9, 12, 14 संयुक्त खातेदारी अधिकारो स्थित है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 15 से 18 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही होते पक्षकार गलत बनाया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकारो के असयोजन के आधार पर खारिज योग्य है। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमियो में अपना हिस्सा बढा चढाकर बताया है जबकि वास्तव में प्रार्थी को दोनो खसरान में लगभग 5-5 बिस्वा भूमि ही बंट में आती है प्रार्थी ने बदयान्ति से दोनो खसरान में अपनी भूमि अलग अलग जगह पर किसी स्थल पर है का कोई नक्शा पेश नहीं किया है प्रार्थी ने भूमि सामलाती होना गलत वर्णित किया है मौके पर पक्षकारान के हक हिस्सा अनुसार अलग-अलग विभाजित हो रखी है प्रार्थी की भूमि प्रार्थी के कब्जा में अलग से घेरी हुई है बंटवाड़ा के पूर्व दर्ज बाद में बंटवाड़ा नही करके न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से नहीं आकर सम्पुर्ण रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा भूमि के शेष

तहसीलदार लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारो को तंग परेशान करने व अवैध वसुली करने के लिये वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है।

प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपना ज्ञान बखारा है प्रार्थी अपने हिस्से की दोनो रकबा की कमशः 5-5 बिस्वा भूमि को सुरक्षित रखने का ही अधिकारी है शेष रकबा 34 बीघा 08 बिस्वा भूमि के खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग को बाधित करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है प्रार्थी पूर्ववर्ती विचाराधिन वाद बअनवान लक्ष्मणकुमार राव वगैरा बगतुदेवी वगैरा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपने बंट की दोनो खसरान की रकबा 5-5 बिस्वा भूमि को जरिये बंटवाड़ा अलग कर सकता है प्रार्थी के अलावा शेष सभी खातेदार जमाबन्दी में दर्ज अपने-अपने हिस्से अनुसार मौका पर वर्षो से अलग -अलग काबिज है जिनसे अवैध वसुली करने व तंग परेशान करने तथा पूर्ववर्ती विचाराधीन वाद को विफल करने की बदयान्ति से प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है।

प्रार्थी ने अपना ज्ञान बखारा है और भविष्य की संभावनाओ का आधार बनाकर यह वाद व प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध तरीके से पेश किया है प्रार्थी पूर्ववर्ती विचाराधिन वाद बअनवान लक्ष्मणकुमार राव वगैरा बगतुदेवी वगैरा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपने बंट की दोनो खसरान की रकबा 5-5 बिस्वा भूमि को जरिये बंटवाड़ा अलग कर सुरक्षित कर सकता है प्रार्थी के अलावा शेष सभी खातेदार जमाबन्दी में दर्ज अपने-अपने हिस्से अनुसार मौका पर वर्षो से अलग अलग काबिज है जिनसे अवैध वसुली करने व तंग परेशान करने तथा पूर्ववर्ती विचाराधीन बाद को विफल करने की बदयान्ति से प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी स्वयं द्वारा भी दोनो खसरान में 5-5 बिस्वा भूमि बाणिज्य भूखण्ड के रुप में खरीदी है और वाणिज्यक उपयोंग में ही ली जा रही है जिसका अप्रार्थीगण द्वारा कोई एतराज कभी भी नहीं किया गया है।

वादग्रस्त खसरान की भूमिया मात्र राजस्व रिकॉर्ड में सामलाती है मौका पर भौतिक रुप से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण जमाबन्दी में दर्ज अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज है यहां पर प्रार्थी द्वारा स्वयं की भूमि को जायगा बताया है अर्थात प्रार्थी की भूमि में वाणिज्यक निर्माण कार्य किया जाकर वाणिज्यक गतिविधि संचालित की जा रही है निर्मित स्थल को जायगा कहा जाता है प्रार्थी का वाणिज्यक भूखण्ड प्रार्थी स्वयं द्वारा अकृषि प्रयोजन के रुप में काम लिया जा रहा है प्रार्थी के हक हिस्से की किमती जमीन मौका पर बिलकुल सुरक्षित है और अप्रार्थीगण कतई उससे प्रार्थी को बेदखल करने के लिये आमदा नहीं है।

प्रार्थी के हिस्से दोनो खसरान की रकबा 5-5 बिस्वा भूमिया मौके पर प्रार्थी के बंट में वर्षो से अप्रार्थीगण से अलग विभाजित कर रखी है जिस पर वाणिज्यक गतिविधिया प्रार्थी द्वारा संचालित की जा रही है प्रार्थी ने अपने विक्रय विलेख में भी अपनी कयसुदा भूमिया विशेष पड़ोस के मध्य क्रय करना अंकित करवाने से भी साबित है कि प्रार्थी की भूमि मौका पर सामलाती हो और प्रार्थी को काश्त से वचिंत किया जा रहा हो किन्चित 10 बिस्वा भूमि का खातेदार रकबा 34 बीघा 08 बिस्वा भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण को अपने विधिक अधिकार से बाहर जाकर उपयोग, उपभोग से वचिंत करने का वाद और प्रार्थना पत्र के जरिये प्रयास कर रहा है विक्रय विलेख में प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि विशेष स्थल पर क्रय करना बताने से इस वाद में प्रार्थी भूमि सामलाती बताने से बाधित होने से प्रार्थी का दावा व प्रार्थना पत्र BARRED BY LAW होने से दावा व आवान प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा भारत सरकार में एक फोजी होते अवैध वसुली व भूमाफियो के साथ मिलकर वादग्रस्त किमती भूमि के खातेदारों को डरा हेतु मजबुर करने की बदयान्ति से अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा नहीं कर यह वाद विधि विरुद्ध तरीके से पेश किया है पूर्व विचाराधिन वाद में प्रार्थी के अधिवक्ता [illegible]

अधिवक्ता [illegible]
[illegible] जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

है. संयुक्त वाद में बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी करने की सहमति देने के बाद परिवर्तित अधिवक्ता के पूर्व विचाराधिन वाद में भूमाफियो की सलाह के पश्चात परिवर्तित रुप से बंटवाड़ा को विफल करने की बदनियति से एक अनर्गल वाद एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि का कोई नजरी नक्शा भी पेश नही किया है प्रार्थी खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 व 8 ता 14 के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

खसरा नम्बर 212 के रिकॉर्ड में प्रार्थी अपने पिता के नाम की प्रविष्टि को प्रार्थना पत्र के जरिये शुद्ध नही करवा सकता है और न ही पश्चातवर्ती वाद में शुद्ध करवा सकता है। एक बार बंटवाड़ा की संस्वीकृति करने के पश्चात किसी प्रकार का पश्चात पश्चातवर्ती वाद में कानूनन नहीं किया जा सकता है प्रार्थी का वाद संस्वीकृति के आधार पर खारिज योग्य होने से जवाब खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र में अनर्गल रुप से प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी अप्रार्थीगण द्वारा दी गई होती और सड़क निर्माण किया होता तो प्रार्थी द्वारा पूर्व विचाराधीन वाद ... वगैरा बयान हलफनामा वगैरा में प्राथमिक विभाजन की डिक्री जारी करने में सहमति प्रदान नहीं की जाती इससे स्वतः ही साबित है कि दिनांक 23.01.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी गई इसलिए दिनांक 23.01.2024 को प्रार्थी को कोई व्यवहारकरण वादकारण उत्पन्न नहीं होता है वादकारण उत्पन्न प्रकट नहीं करने के अभाव में प्रार्थी का वाद व जवाब प्रार्थना पत्र होने खारिज योग्य है।

प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का रकबा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार है जिसका बंटवाड़ा नहीं करके भूमाफियो के साथ मिलावट करके वाद व जवाब प्रार्थना पत्र के जरिये ... रकबा 34.08 बिस्वा भूमि के ... अवैध वसूली करने का प्रयास कर रकबा 34.08 बिस्वा भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण के आपसी बंटवाड़ा के पूर्व विचाराधिन वाद को विफल करने की बदनियति से प्रार्थी ने वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा भूमि के सहखातेदार होने से और भौतिक रुप से मौका पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार वर्षों से अलग-अलग काबिज होने से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा नही कर अनर्गल वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने से अपूर्णीय क्षति भी - रफिर अप्रार्थीगण को हो रही है इसलिए रेकॉर्डड सहखातेदारो के विरुद्ध विधि अनुसार प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है। अन्य वजुहात बरवक्त बहस पेश किये जावेंगे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा अपने-अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए।

हम प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थनापत्र, संलग्न दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। हम अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन आवश्यक एवं सारभूत तत्वों के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना उचित समझते है।

प्रथम दृष्ट्या मामला

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पुर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबन्दी एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में अभिलिखित काश्तकार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य दावा अन्तर्गत धारा 188,92 ए,91,67,71,177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं पूर्व से इसी

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

आराजी को लेकर वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है चुकि प्रार्थी और अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित सहकाश्तकार है। अतः प्रार्थी के अधिकार केवल अपने हिस्से तक ही सीमित है। अपने हक एवं हिस्से की अधिक भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने सामलाती खातेदारी की भूमि में बिना किसी अनुमति से आवासीय कॉलोनी स्थापित करने की मंशा से भूमि को छोटे-छोटे टूकडें में विभक्त कर सडकों का जाल बिछा दिया है। न्यायालय का अभिभव है कि अगर कोई खातेदार बिना अनुमति कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करता है तो तहसीलदार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधाननुसार कार्यवाही कर सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि आदेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थीगण को।
जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है वादग्रस्त आराजी लोहावट विश्नावास के ख.नं. 212 रकबा 1.6835 हैक्टेयर व ख.नं. 162 रकबा 3.9659 हैक्टेयर है में प्रार्थी और अप्रार्थीगण अभिलिखित सहकाश्तकार है। प्रार्थी अपने हक व हिस्से से बाध्य है तथा इसी अनुसार अपनी आराजी का उपयोग उपभोग कर सकते है। आदेश की आड़ में अन्य सहकाश्तकार अपनी आराजी से संबंधित प्राथमिक अधिकारों यथा उसके उपयोग उपभोग, काश्त, रहन, बैचान और संपरिवर्तन आदि से वंचित हो सकते है। अतः न्यायाल के अभिमत में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती है।
चूंकि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हुये है एंव न्यायालय के अभिमत में आदेश से अन्य अभिलिखित सहकाश्तकारों को प्राथमिक अधिकारों, आराजी के उपयोग-उपभोग से वंचित किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित हो सकती है।
उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के तीनों मूलभूत सारतत्वों - प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति को साबित नहीं कर सके है। लिहाजा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को हम इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश भलीभांति साबित नहीं होने के कारण सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी अनुसार निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.05.2024
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट जिला फलौदी